तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए
	पीठासीन अधिकारी महो. राजकीय दौरे / कानून व्यवस्था / प्रोटोकाल राज कार्य / अवकाश व्यस्त होने के कारण दिनांक 14-11-23 के राजस्व मुकदमात में आगामी तारीख पेशी दिनांक 5-1-24 नियत की जाती है।	
5/1/24	पत्रावली आज पेश हुयी। प्रार्थी वकील से उपस्थित। अप्रार्थीगण 4 की तरफ से वकील उपस्थित व अप्रार्थीगण 4 की ओर से जवाब पेश किया व उसकी प्रति प्रार्थी वकील को दिलवायी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः अप्रार्थी ने अपने जवाब मे बताया कि प्रार्थीया रमेशी देवी ने ख०नं० 1211 रकबा 1.61 है० मे से हिस्सा 100/161 भाग का क्रय किया गया था जिसके अनुसार खसरा नं० 1211 मे हिस्सा 100/161 जमाबंदी वा[illegible]शिवाड़ A मे दर्ज है। इसी ख०नं० 1211 मे लादूराम पुत्र जमना का हिस्सा 61/322 व सीताराम पुत्र जमना का हिस्सा 61/322 खाता संख्या 651 कुल रकबा 1.61 है० में सहखातेदारी दर्ज है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय सह-खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र मे पक्षकारों का असंयोजन / कुसंयोजन होने के कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र 251 A खारिज किये जाने योग्य है। अतः [illegible] मे बताया गया कि [illegible] भूमि का विधिवत [illegible] आवेदक किसी प्रकार [illegible] रास्ता कायम नहीं करवा सकता है क्योंकि आवेदक द्वारा सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। सहखातेदारों का भी उक्त भूमि के प्रत्येक इंच पर हिस्सा है तथा आवेदिका का भी	

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.07.23 15:39:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए
	खसरा नम्बर 1271 की प्रत्येक छंच पर हिस्सा होना बताया है। प्रार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि मे आने-जाने का रास्ता शुरू से ही आज रास्ता जो प्रप. के पिछे रेल्वे लाईन की तरफ से जाना बताया है। तहसीलदार से प्रकरण के संबंध मे रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाहा गया रास्ता मे भिन्नता है एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार लघुतम रास्ता बताया जिसमे प्रार्थीगण द्वारा सम्बन्धित खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया। दोनो पक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बताया की Joint Tenency मे खातेदारो को पक्षकारान या उनकी बिना सहमति के कोई रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि मे से नही दिया जा सकता। और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे विधिवत तकासमा करवाये जाने के उपरान्त रास्ते के लिये आवेदन किया जा सकता है। पत्रावली के बाद अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन व बहस उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट है प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर बैंक रहन के बावजूद बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया। एवं सहखातेदारो को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे धारा 251 A के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे सहखातेदार को बिना पक्षकार बनाये एवं धारा 53 मे बिना विधिवत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Sin
Date: 2025.07.23 15:39:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए
	तकासमा करवाये एवं बिना लघुतम दूरी की जाँच किये बिना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थियां का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं पत्रावली फैसल में शुमार हो नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5-01-24 को खुले इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.07.23 15:39:20 IST
Reason: SelfAttested